(3) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
(National Council of Educational Research and Training–N.C.E.R.T.)

भूमिका—हमारे देश में शिक्षा के विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्थाएँ कार्य कर रही थीं। इसके समन्वय व विकास की दृष्टि से 1961 में एक नवीन संस्था गठित की गई, जिसे **'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्** (National Council of Education Research and

Scanned by TapScanner

Training—N.C.E.R.T.)' कहते हैं। स्वतंत्र संस्था के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (N.C.E.R.T.) की स्थापना 1 सितम्बर, 1961 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में विकास और 'गुणात्मक सुधार' लाने की जिम्मेदारी सम्भालते हुए इसने अद्वितीय भूमिका निभाई है। यह उच्च शिक्षा के स्वरूप, पाठ्यक्रम, मानदण्ड एवं मूल्यांकन तकनीक इत्यादि के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करती है।

संविधान की 45वीं धारा में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कही गयी है। यह परिषद् इस कार्य के लिए उत्तरदायी है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में यह परिषद् शिक्षा-नियोजन, प्रशासन, साहित्य-निर्माण, आँकड़ों को एकत्रित करना और निर्देशन की व्यवस्था द्वारा शिक्षा का विकास करती है।

परिषद् के उद्देश्य (Aims of Council)

परिषद् के विवरण-पत्र में संस्था की स्थापना के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं—

(1. शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान-कार्य करने अथवा करवाने के लिए सहायता, बढ़ावा, प्रोत्साहन व समन्वय प्रदान करना।

(2. सेवापूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षण का, खास-तौर से उच्चस्तरीय शिक्षा अधिकारियों हेतु आयोजन करना।

(3. राज्य सरकारों एवं अन्य सम्बद्ध अभिकरणों के सहयोग से—

(i) शैक्षिक अनुसंधान में लगे हुए देश के संस्थानों (शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों), संगठनों, अभिकरणों के लिए विस्तार सेवाओं का, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण और स्कूलों के लिए विस्तार सेवाओं का संचालन/आयोजन करना।

(ii) देश की शैक्षिक संस्थाओं में सुधरी हुई विधियों, प्रविधियों एवं अभ्यासों को फैलाना।

(iii) शैक्षिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना अथवा शैक्षिक मामलों में अध्ययन, अन्वेषण और सर्वेक्षण करना या करवाना।

(4. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (N.I.E.) की स्थापना करके उसे चलाना ताकि अनुसंधान का विकास हो सके तथा शैक्षिक प्रशासकों एवं शिक्षा से सम्बद्ध उच्च वर्ग के अधिकारियों व अध्यापक प्रशिक्षकों को सेवापूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षण मिल सके और विस्तार-सेवाओं का प्रबन्ध हो सके।

(5. अनुसंधान के विकास, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं के लिए, देश के विभिन्न भागों में सम्बद्ध क्षेत्रीय महाविद्यालयों को स्थापित करना व संचालन करना।

(6. संस्था के उद्देश्यों वाली संस्थाओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से अपने में मिला लेना या उस संस्था को परिषद् की शासी निकाय की इच्छानुसार मदद करना।

(7. देश के किसी भी भाग में अपने उद्देश्यों को प्राप्त कराने वाली अन्य संस्थाओं की स्थापना व परिचालन करना।

(8. शैक्षिक अनुसंधान, प्रशिक्षण व विस्तार कार्यक्रम से सम्बद्ध विचारों एवं सूचनाओं के निकासी गृह के रूप में कार्य करना।

(9. शिक्षा से सम्बद्ध मामलों में भारत सरकार, राज्य सरकार और अन्य शैक्षिक संगठनों को सलाह प्रदान करना।

(10. राष्ट्रीय स्तर पर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न पाठ्य-पुस्तकों, पत्रिकाओं व अन्य साहित्य के प्रकाशन का काम हाथ में लेना।

Scanned by TapScanner

(11) परिषद् के प्रयोजन के लिए अपेक्षित अथवा सुविधाजनक किसी भी चल या अचल सम्पत्ति को उपहार, खरीद या पट्टे पर प्राप्त करना।

(12) शिक्षा सम्बन्धी सूचनाओं का संग्रहण, सारणीयन करना तथा जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाना।

(13) शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देने, शैक्षिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने तथा शैक्षिक संस्थाओं को विस्तार की सुविधा प्रदान करना।

(14) विद्यालयी शिक्षा के सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों, नीति-निर्माण एवं कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शैक्षिक सलाह प्रदान करना।

(15) यूनेस्को, यूनिसेफ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से अन्य देशों की शैक्षिक गतिविधियों सम्बन्धी कार्यक्रमों का अवलोकन करना।

(16) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (N.C.T.E.) तथा शैक्षिक नवाचारों के विकास के लिए भी सचिवालय के रूप में कार्य करना।

(17) अन्य देशों के शिक्षा-कर्मियों के कार्यों और प्रशिक्षण की सुविधाओं का अध्ययन करना एवं आवश्यक हो तो तदनुसार परिवर्तन, संशोधन या विस्तार करना।

संरचना—राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की संरचना में महापरिषद् व कार्यकारिणी समिति दोनों आते हैं।

महापरिषद्—महापरिषद् या सामान्य परिषद् ही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की **'नीति-निर्माण'** की संस्था है। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री (शिक्षामंत्री) इसके अध्यक्ष और सभी राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों के शिक्षामंत्री इसके सदस्य होते हैं। इनके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, शिक्षा मन्त्रालय के सचिव, विश्वविद्यालयों (प्रत्येक क्षेत्र से एक-एक) के चार कुलपति, कार्यकारी समिति के सभी सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित (बारह से अधिक नहीं और इनमें से कम-से-कम दो स्कूल अध्यापक होने चाहिएँ) सदस्य इसके सदस्य होते हैं।

कार्यकारिणी समिति (Executive Committee)

इसके केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री (शिक्षामंत्री) पदेन अध्यक्ष और राज्यमंत्री पदेन उपाध्यक्ष के रूप में होते हैं। इसके अलावा शिक्षा मन्त्रालय के उपमंत्री, शिक्षा मन्त्रालय के सचिव, परिषद् के निदेशक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा में रुचि रखने वाले चार शिक्षाविद् (जिनमें से दो स्कूल के अध्यापक होंगे), परिषद् के संयुक्त निदेशक, संकाय के तीन सदस्य (जिनमें से कम-से-कम दो प्रोफेसर व विभागाध्यक्षों के स्तर के होंगे) और वित्त मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि (जो कि परिषद् का वित्तीय सलाहकार होगा) इसके सदस्य होंगे। यह समिति विभिन्न समितियों की सिफारिशों का समन्वय करती है और उनको क्रियान्वित करती है। सभी प्रशासनिक कार्य इस समिति के अधीन हैं।

इस समिति को अपने कार्यों में सहायता देने के लिए निम्नलिखित स्थायी समितियाँ हैं—

(1) विज्ञान एवं कार्यक्रम सलाहकार समिति।

(2) वित्त समिति।

(3) स्थापना समिति।

(4) प्रकाशन, भवन व निर्माण समिति।

(5) शैक्षिक अनुसंधान और नवोत्पाद समिति तथा

(6) क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेजों (R.E.C.) की प्रबन्ध समितियाँ।

इनके अलावा निदेशक, संयुक्त निदेशक (दो) और सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती

Scanned by TapScanner

है। एन०सी०ई०आर०टी० के मुख्य प्रशासक तथा अकादमिक अधिकारी इसके निदेशक हैं और संयुक्त निदेशक व सचिव उनके सहायक हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का कार्यक्षेत्र (Field of N.C.E.R.T.)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के शिक्षा में बृहत् विस्तार कार्यक्रम हैं। इसमें इसके **'क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालय', 'क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज'** और **'राष्ट्रीय शिक्षा संस्था'** (N.I.E.) आदि के अनेक विभाग सम्मिलित हैं। परिषद् के विस्तार का कार्यक्रम देश के लिए सभी राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों के लिए हैं। परिषद् राज्यों के विभिन्न अभिकरणों एवं संस्थाओं के साथ सीधे कार्य करती है और विस्तार सेवा-विभागों एवं कॉलेजों के अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ विस्तारपूर्वक कार्य करती है। विकलांगों तथा समाज के लाभावंचित वर्गों के बच्चों की शिक्षा के लिए परिषद् के पास विशेष कार्यक्रम हैं। परिषद् समय-समय पर विभिन्न सम्मेलन, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ और प्रतियोगिताएँ नियमित रूप से चलने वाले कार्यक्रमों की भाँति आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों को ग्रामीण व पिछड़े हुए इलाकों में करने के लिए भी विशेष ध्यान रखा जाता है जिससे कि इन कार्यक्रमों से सम्बद्ध कार्यकर्त्ता वहाँ की विशिष्ट समस्याओं से परिचित हो सकें।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (N.C.E.R.T.) का एक महत्त्वपूर्ण कार्य प्रकाशन का भी है। परिषद् के प्रकाशन में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु सभी शाखाओं को सम्मिलित किया गया है। कक्षा 1 से 12 तक के विभिन्न विषयों की पाठ्य-पुस्तकें, कार्य-पुस्तकें, मार्गदर्शिकाएँ, अनुसंधान साहित्य (रिपोर्ट) आदि सभी पर परिषद् प्रकाशन का कार्य करती है। शैक्षिक सूचना के प्रसार हेतु परिषद् निम्नलिखित पत्रिकाएँ भी प्रकाशित करती है—

(1) जनरल ऑफ इण्डियन एजूकेशन (अंग्रेजी)।
(2) इण्डियन एजूकेशनल रिव्यू (अंग्रेजी)।
(3) दि प्राइमरी टीचर (अंग्रेजी)।
(4) स्कूल साइन्स (अंग्रेजी)।
(5) भारतीय आधुनिक शिक्षा (हिन्दी)।
(6) प्राइमरी शिक्षक (हिन्दी)।

इनके अलावा प्रत्येक **क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय** (R.C.E.) अपनी-अपनी पत्रिका प्रकाशित करते हैं। परिषद् भी कार्यालय पत्रिका (एन०सी०ई०आर०टी० न्यूजलैटर) व परिषद् की आन्तरिक प्रसार गतिविधियों के लिए शैक्षिक दर्पण प्रकाशित करती है।

राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद् (N.C.E.R.T.) के कार्य

इस संस्था के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं—

(1) स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम एवं शैक्षिक सामग्री का विकास करना।
(2) शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों तथा अन्य शैक्षिक कार्यकर्त्ताओं के लिए सेवा-पूर्व (Pre-Service) तथा सेवारत (In-Service) प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्मित करना।
(3) शैक्षिक अनुसंधान (Educational Research) करना।
(4) विकसित शैक्षिक तकनीक (Developed Educational Technique) तथा शिक्षा सम्बन्धी और व्यवहार विज्ञानों (Behaviour Sciences) के अनुसंधान परिणामों (Results of Researches) को प्रयुक्त करना।
(5) स्कूली शिक्षा से सम्बन्धित नए विचारों (Ideas) तथा सूचनाओं (Informations) को एकत्रित कर उनको शिक्षा के विकास में उपयोग में लाना।

Scanned by TapScanner